राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि0

पश्चिम ब्लॉक, नेहरु सहकार भवन, 22 गोदाम सर्किल, जयपुर
फोन नं. 0141–2740553, 2740440 फैक्सः– 0141–2740930, 2740440
Email : rsldbpnd@gmail.com Website : www.rsldb.nic.in

क्रमांकःफा.42 / आ.वि. / व्य.ऋण.यो. / 2020 / 7409-38 दिनांक : 15/07/2020

चेव

प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैक लि.

...

विषयः– सहकारी भूमि विकास बैंकों द्वारा व्यक्तिगत ऋण योजना में ऋण वितरण करने हेतु ।

प्रसंगः– संयुक्त शासन सचिव (सहकारिता) का पत्र कमांक प.17(1)सह / 2020 / लूज दिनांक 09.07.2020 एवं अति. रजिस्ट्रार (मोने.) का पत्रांक फ.50(1)सह / मोने. / योजना / 2016 दिनांक 10.07.2020

महोदय

उपरोक्त विषयन्तार्गत प्रासंगिक पत्रों के कम में लेख है कि सहकारी भूमि विकास बैंकों के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों / अधिकारियों को उनकी व्यक्तिगत आवश्यकता एवं पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राज्य सरकार से व्यक्तिगत ऋण योजना अनुमोदित प्राप्त हुई है । इस सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है किः–

1. यह योजना उन प्राथमिक बैंकों में लागू होगी, जिनके द्वारा राज्य बैंक की मांग का 31 मार्च, को पूर्ण चुकारा किया जा चुका हो । वर्ष 2020–21 के लिए योजना उन बैंकों में लागू की जा सकेगी जिनके द्वारा राज्य बैंक की मांग का दिनांक 31.03.2020 को पूर्ण चुकारा कर दिया गया है । तत्पश्चात आगे के वित्तीय वर्षो में जारी रखने हेतु यह अनिवार्यता सतत् लागू रहेगी ।
2. योजनान्तर्गत ऋण वितरण हेतु वित्तीय संसाधन प्राथमिक बैंक के स्वयं के होगे । नाबार्ड पुनर्वित्त उपलब्ध होने की स्थिति में अथवा राज्य भूमि विकास बैंक के पास वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने की स्थिति में तदानुसार राज्य भूमि विकास बैंक द्वारा पुनर्भरण किया जा सकेगा ।

अनुमोदित योजना की प्रति संलग्न करते हुए निर्देशित किया जाता है कि योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए योजना के प्रावधानानुसार अधिकतम सरकारी कर्मचारियों / अधिकारियों को ऋण प्रदान किया जाना सुनिश्चित करावे ।

भवदीय

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(जितेन्द्र प्रसाद)
प्रबन्ध निदेशक

क्रमांकःफा.42 / आ.वि. / व्य.ऋण.यो. / 2020 / 7409-38 दिनांक : 15/07/2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अध्यक्ष / प्रशासक, प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक .....
2. उप महाप्रबन्धक, लेखा एवं वित्त / प्रशासन एवं कार्मिक / निरीक्षण एवं सुपरवीजन / वसूली बैंक।
3. क्षेत्रीय प्रबन्धक, क्षेत्रीय कार्यालय .....
4. वरिष्ठ प्रबन्धक कम्प्यूटर प्रकोष्ठ बैंक।
5. प्रबन्धक, प्रबन्ध निदेशक प्रकोष्ठ, बैंक।

(6)

प्रबन्ध निदेशक

D:\My Document-1\Prashant Chaudhary\General Letters.docx

राजस्थान सरकार
सहकारिता विभाग

अत्यावश्यक

क्रमांकः प.17(1)सह/2020/लूज जयपुर, दिनांक 09.07.2020

रजिस्ट्रार,
सहकारी समितियॉ
राजस्थान, जयपुर।

विषयः—सहकारी भूमि विकास बैंकों के माध्यम से व्यक्तिगत ऋण योजना के अनुमोदन बाबत्।

संदर्भः—आपका पत्रांक फा.50(1)सह/मोने/योजना/2016/816 दिनांक 17.06.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भ में सहकारी भूमि विकास बैंकों के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों को उनकी व्यक्तिगत आवश्कता एवं पारिवारिक आवश्कताओं की पूर्ति हेतु व्यक्तिगत ऋण योजना का अनुमोदन किया जाता है। प्रकरण से संबंधित आकपे कार्यालय की मूल पत्रावली मय नोटशीट संलग्न हैं।

उक्त योजना का अनुमोदन सक्षम स्तर से किया जाता हैं।

भवदीय,

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

(नारायण सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपिः—प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि0, नेहरु सहकार भवन, जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संयुक्त शासन सचिव

व्यक्तिगत ऋण योजना

भूमि विकास बैंकों द्वारा अब तक सिर्फ परम्परागत उद्वेश्यों के अन्तर्गत ही ऋण वितरण किया जाता रहा है, परन्तु वर्तमान में कई उद्वेश्यों में संतृप्तता (Saturation) की स्थिति आ जाने से इनमें हो रहे ऋण वितरण में निरन्तर गिरावट आ रही है। प्रदेश भी गत कई वर्षों से अकाल/अतिवृष्टि/ओलावृष्टि आदि की चपेट में रहा है, जिसके कारण अधिकांश प्रा. बैंकों की वसूली स्थिति में भी सतत गिरावट आ रही है। कुछ प्राथमिक बैंकों की वसूली में सुधार भी हुआ है।

इस प्रकार ऋण वितरण के नये आयाम नहीं होने से इन बैंकों की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पडा है। अतः प्रदेश की उन प्राथमिक बैंकों, जिनकी वसूली स्थिति अच्छी है तथा जिनके पास स्वंय के निजी फण्ड भी हैं, की सुदृढ़ता बनाये रखने के लिये ऋण वितरण हेतु नये क्षेत्र खोजे जाने की नितान्त आवश्यकता है। इसी कड़ी में इन बैंकों द्वारा प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों को उनकी व्यक्तिगत एवं पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रथम बार में राशि रूपये 3.00 लाख तक के व्यक्तिगत ऋण उपलब्ध करवाये जाने हेतु योजना प्रस्तावित की जा रही है। योजना के परिचालनात्मक मार्ग निर्देश निम्नानुसार है :–

1.योजना का नाम :–

- इस योजना का नाम व्यक्तिगत ऋण योजना रहेगा।

2. योजना का उद्वेश्य :–

- योजना के अंतर्गत आवेदनकर्त्ता की देय क्षमता को देखते हुये उसकी व्यक्तिगत एवं पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ऋण उपलब्ध कराया जा सकेंगा।

3. पात्रता :–

- इस योजना के अंतर्गत, भारत सरकार/राज्य सरकार एवं इनके विभिन्न उपकम, विश्वविद्यालय, सहकारी बैंक (अपैक्स बैंक, प्राथमिक भूमि विकास बैंक, केन्द्रीय सहकारी बैंक), अन्य सहकारी संस्थायें (यथा उपभोक्ता भंडार, क्रय विक्रय सहकारी समिति आदि), अन्य सरकारी बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, न्यायालय आदि के स्थाई कर्मचारियों को ऋण उपलब्ध कराया जा सकेगा।
- इस योजनान्तर्गत केवल ऐसे व्यक्तियों को ही ऋण प्रदान किया जा सकेगा, जो बैंक के कार्यक्षेत्र में सेवा कर रहे हो अथवा निवास कर रहे हों। यह ऋण बैंक द्वारा प्रमाणीकरण उपरांत संतुष्टि होने पर ही दिया जा सकेगा।
- ऋणी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 55 वर्ष होगी।

4 ऋण सीमा :–

- योजनान्तर्गत आवेदक की मासिक आय की 8 गुना राशि तक का ऋण स्वीकृत किया जा सकेगा, जिसकी अधिकतम ऋण सीमा रूपये 3.00 लाख होगी। आवेदक की अंतिम वेतन पर्ची में दर्शाई गई आय अथवा नियोक्ता/डीडीओ के प्रमाण पत्र में दर्शाई गई आय को आधार बनाया जावेगा।
- इस हेतु आय का प्रमाणन आयकर निर्धारण रिटनर्स, वेतन पर्ची, नियोक्ता/डीडीओ से जारी आय प्रमाण–पत्र, जिसमें कटौतियों का भी पूर्ण विवरण हो से किया जा सकेगा।
- ऋण स्वीकृति के समय इस ऋण की किश्त को सम्मिलित करते हुये यह देखा जावेगा कि ऋणी को शुद्व प्राप्त वेतन (take home salary) कुल वेतन के 40 प्रतिशत से कम नहीं हो।

1 (नारायण सिंह)
संयुक्त शासन सचिव